न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–111/2021

धुप यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

प्रभु भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
06.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.08.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा आदेश 22 नियम 09 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 प्रभु भगत की मृत्यु दिनांक 28.05.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–01 प्रभु भगत के विधिक वारिसानों में अपने पीछे दो लडके सुरेश चौरसिया एवं उमेश चौरसिया को छोड कर स्वर्गवास हुये है तथा उनकी पत्नी उनके जीवनकाल में ही स्वर्गवासी हो चुकी है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–01 प्रभु भगत का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी सं0–02 सीरीज, 03 ,04 एवं 05 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 28.08.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 प्रभु भगत की मृत्यु दिनांक 28.05.2023 को हो गयी थी तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा एक आवेदन दिनांक 18.10.2023 को अंतर्गत आदेश 22 निमय 10ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल कर इस बात की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा आवेदन 09 माह बीत जाने के बाद दिया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय अथवा विशेषा खर्चो के साथ स्वीकार किया जाय।। प्रतिवादी सं0–06 एवं 07 की ओर से वादीगण के	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–111/2021

धुप यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

प्रभु भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 06.12.2024	आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.09.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0–01 की मृत्यु दिनांक 28.05.2023 को हुई है तथा प्रतिस्थापन आवेदन एक वर्ष तीन माह बाद दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 प्रभु भगत की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। आवेदन के समर्थन में वादीगण की ओर से शपथपत्र तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 का आवेदन भी दाखिल किया गया है। वादीगण का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया है फिर भी न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 05.08.2024 को मो0–2500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 प्रभु भगत का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 07.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	